

colleague, Shri S. Jaipal Reddy, I beg to lay a copy of the statement on the status of implementation of recommendations contained in the Seventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development (14th Lok Sabha).

Status of Implementation of recommendations Contained in the Seventieth Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce; and

Status of Implementation of recommendations Contained in the Seventy-first Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI E.V.K.S. ELANGO VAN): Sir, I beg to lay statements on the:

- I. Status of implementation of recommendations contained in the Seventieth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce; and
- II. Status of implementation of recommendations contained in the Seventy-first Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce.

SHORT DURATION DISCUSSION—(Contd)

Atrocities on women in the country

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Thank you, Sir. So Kind of you to have given me an occasion to speak on this very grave issue regarding violence against women in the country. Very impassioned plea of distinguished woman Parliamentarians regarding the present status and the disadvantage being done to the woman segment, I think, has speared everybody's heart. It is a very harrowing, very disturbing and alarming scenario of atrocities against women in the country. Statistics are galore on this. I will be tempted to quote them also, but statistics are, Sir, like bikinis, bathing suits; what they reveal is suggestive, but what they hide is wider. The crime figures or the figures pertaining to atrocities

and violence against women—I am addressing this, through you, Sir, to the hon. Home Minister who is the peace-keeper in this country, and who is the custodian of honour of women here—are only a tip of the iceberg; only one-tenth of the crimes against women, particularly atrocities and rapes, are reported; 90 per cent of them remain hidden in anonymity because women do not come forward because of honour, because of family name and because of atmosphere prevailing in the country; they do not have the courage to report what happens to them. It is an irony, Sir, that on the 25th of November, the United Nations International Day for Elimination of Violence against Women was celebrated. Now, we are arguing here regarding the safety and security of women in India for whose glory we quote the scriptures, we quote the Ramayana, we quote the Mahabharata; and it appears that as if a person can go smile and smile and yet to be a villain. It is a dichotomy in our psyche. On the one side, we worship her as a deity and, on the other, we burn her on pyre. On the one side, we call her mother Goddess and, on the other, she is exposed to indignity of rape, a scar which never heals.

Let us talk of Delhi, the capital of the country; Delhi, which is under the nose of the Central Government; Delhi, where the destiny of the people is ruled by a grand woman Chief Minister. It would not be an exaggeration to say that Delhi is earning the honorific of rape capital of the country. I will just quote, with your permission, that during 2004, the year which just ended, 551 rapes took place, which was 15 per cent more than the earlier year. Three rapes in two days; one rape is being committed in every 16 hours in this capital, and for 10 lakh population in the country, Delhi reports 36 rapes as against the Indian average of 16 rapes. This is the record of Delhi.

Sir, it happened in Delhi that a Swiss diplomat, I think, to be exact on 14th October, 2003, when she was coming out of the Siri Fort Auditorium after seeing a cultural event, was abducted and raped in a moving car by the ruffians. Still we have not been able to find out the culprits. That blot on our law and order machinery, on our Government, on our management of safety centre for women, still remains; and that diplomat went away from Delhi in disgust saying that India is not safe for women. Delhi is not safe for women; the home is not safe for women; the hospital is not safe for women; the home is not safe for women; the market is not safe for women; and even the womb of the mother is not

safe for women. Where will she get safety? It was well said that there was a time when a girl child was killed after birth, when we did not have machines like sonography, when we did not have machines to help up to have sex determination. Now, she is killed prior to birth. What agony could be more than that! She is not safe in her house because she is abused by her in-laws; she is abused by her husband in whose care she is entrusted.

Sir, as I was talking of Delhi, with your permission, I will tell you a very harrowing tale of indignity to women. Out of the rape cases in Delhi, during 2004, fourteen were the cases of daughters raped by fathers; seven were the cases of those who were raped by brothers-in-law; one was an aged women who was raped by stepsons; and four were unfortunate daughters-in-law who were raped by fathers-in-law. I am just quoting Delhi; but Delhi is repeated everywhere. It may be Imrana or it may be someone else or it may be a faceless woman because women, whom we call the second sex or the weaker sex, come half a billion. They don't have a face even now. So, it is a very grave plight. I don't blame any Government for this. It happened. It is happening now also. It was happening earlier also. But it is happening with more gravity; it is happening with more brutality. It is happening with more fiendish. It would not be an exaggeration to say that woman is the biggest block of humanity which is the most exploited, which is the most deprived, which is the most abused, which is the most disadvantaged, which is the most discriminated against. Something has to be done. I do not know whether our conscience is steered by their plight, which is happening. Sir, laws are there and new laws will also come up, but these laws are not being enforced. Laws are observed more in breach than their observance. I will suggest a few measures which are very obvious for the consideration of the hon. Home Minister. Let there be more women in the police. At present, throughout the country, there are only 2 per cent women in the police, whereas 50 per cent of our population consist of women. In the police, there are only 2 per cent women. There would not be even 2 per cent police stations which are manned by women. There would not be even 2 per cent women magistrates in the country. Until and unless, women are handled by women, they would not get right justice because we have denied justice to them so far because of our male chauvinism. Our attitude has also to change. So far as the conviction rate is

concerned, less said the better. It would not be even 5 per cent. So far as minors are concerned, their plight has already been stated. This is not only in India. I would like to emphasise that gender bias against women is universal. With your permission, Sir, I would like to quote...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: I am concluding, Sir. But I wanted to emphasise on the plight of women because it is endless.

The United Nations says, "Violence against women is a major cause of death and disability for women in 16 to 40 years of age" It is reported that in the United States, 70,000 women are raped or sexually assaulted every year. We are beating the United States also, Sir, in this advancement. I hope and pray that in the name of humanity, in the name of motherhood, in the name of doing justice to the fair sex, some very stringent measures would be taken by the hon. Home Minister who is sitting here and who is listening to their tale of woe. If we do not do it, the women will fight it out. They will revolt against us. They will get their due in due course of time, but the manhood would not get credit for that. It is time we gave their due graciously, righteously and honourably. Thank you.

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, उपसभापति जी। आज सदन में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुज अच्छी बहस चल रही है। As often happens, commercial interest gets overriding priority on social issues. This is what has happened. This debate was discontinued for discussing the WTO issues. Sir, every 26 minutes, a woman is molested; every 34 minutes, a rape takes place; every 42 minutes, a sexual harassment incident occurs; every 43 minutes, a woman is kidnapped, every 93 minutes, a woman is burnt to death over dowry, यह एनेलिसिस एक अखबार में आई है और मैं इसे वहां से कोट कर रहा हूँ।

सर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वह यह है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन सबका पूरा रेकार्ड निकाला जाए, तो सबसे बड़ा अपराधी पति है और रिश्तेदार हैं। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा वायलेंस घरों के अन्दर हो रहे हैं। इसमें सरकार क्या करेगी, राज्यों की पुलिस क्या करेगी, यह एक दूसरी बात है, एक दूसरा पहलू है। लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि घरों के अन्दर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। शायद सरकार इसीलिए डॉमेस्टिक

वायलेंस बिल लाई और पास कराया और इस दिशा में एक सब से महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें पेरेंट्स की संपत्ति में हिस्सेदारी दी। ये दो बिल सरकार लायी और इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

सर, पिलानिया जी बोल रहे थे। मेरे ख्याल से वह डीज्जी पुलिस भी रहे हैं और वे इस बात को जानते हैं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। इसे कंट्रोल करने में राज्य सरकारों का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं यहां किसी एक, दो या तीन राज्यों में नहीं जाना चाहता, लेकिन राज्य सरकार और राज्यों की पुलिस इसमें अहम भूमिका निभाती है। इसलिए उन को इस दिशा में कुछ करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार उन को सलाह दे सकती है, उन को बोल सकती है या फिर ऐसा प्रोवीजन होना चाहिए कि डायरेक्टली कुछ ऐसा कानून बनाकर कि महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप हो सके। वरना यह बड़ा मुश्किल काम है कि कैसे राज्य सरकारों को इस मामले में नियंत्रण में लाया जाए। महोदय, उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली में एक महिला मुख्य मंत्री है, इस के बावजूद रेप के इतने केसेज हो रहे हैं। मैं राज्यों में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर आंकड़े उठाए जाएं तो मैं बताता हूं कि रेप के सब से ज्यादा केसेज मध्य प्रदेश में फॉलोड बाइ वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। किडनैपिंग और एब्डक्शन के सब से ज्यादा उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाइ राजस्थान और डाउरी के केसेज उत्तर प्रदेश में सब से ज्यादा फॉलोड बाइ बिहार एंड मध्य प्रदेश है। मोलेस्टेशन में सब से ज्यादा मध्य प्रदेश फॉलोड बाइ आंध्र प्रदेश। सेक्सचुअल हरासमेंट में से सब से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, इम्पोटेशन ऑफ गर्ल्स मध्यप्रदेश में, सब से ज्यादा झारखंड में फॉलोड बाइ वेस्ट बंगाल एण्ड बिहार। इसी तरह से डाउरी के सब से ज्यादा केसेज बिहार में रजिस्टर हुए फॉलोड बाइ उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी रेप के 1038 मामले सिर्फ 2004 में दर्ज हुए। इसलिए मेरे ख्याल में हमें इसे इस में नहीं बांटना चाहिए कि कहां महिला मुख्य मंत्री है और कहां महिला मुख्य मंत्री नहीं है? कहां ये केसेज हो रहे हैं और किन राज्यों में नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सब तरफ फैले हुए हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे रोकने के लिए सभी को मिलजुलकर कदम उठाने पड़ेंगे। इस के लिए सब से जरूरी बात है कि कानूनी तौर से सख्त कदम उठाए जाएं और वीमेन एम्पावरमेंट हो। आप देखें महिला पत्रकारों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, महिला पोलिटीशियंस के साथ कोई ज्यादाती नहीं कर सकता। आज वे अपनी सफल भूमिका निभा रही हैं। अगर महिला सशक्तीकरण हो तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से हमें निजात मिल सकती है। सर, इस में एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे महिला पुलिस हैं और जगह-जगह वीमेन सेल्स कायम किए गए हैं। मैं चाहूंगा कि वीमेन जर्जों की भी ज्यादा नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वे उन के केसेज को हैंडल करें और एक सिम्पैथेटिक एटीट्यूड लें। इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात रखकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं जोकि पहले भी एक-दो बार सदन में आई है। मैं इस बारे में गृह मंत्री

जी से विशेष ध्यान चाहूंगा महोदय, अगर बहु महिला है तो सास भी महिला है। मैं एंटी डाउरी एक्ट के संबंध में कहना चाहता हूँ कि मैं एक जेल में विजिट करने गया तो वहाँ देखा कि 80-80, 85-85 साल की बुढ़ियाएँ 10-10 साल से डाउरी केसेज में जेल में पड़ी हुई हैं। अगर उन की शक्ल देखों तो लगता है कि वे एक चिड़िया भी नहीं मार सकती, बहु को मारना तो दूर रहा। लेकिन इन लॉज ने, माइके वालों ने कम्प्लेंट लिखा दी और उस बेसेस पर वे 8-8, 10-10 से जेल में पड़ी हैं। उन की कोई जमानत कराने वाला नहीं है। महोदय, अगर जेलों का रिकॉर्ड मंगाया जाए तो आप देखेंगे कि हजारों ऐसी बूढ़ी महिलाएँ वहाँ पड़ी हैं जिन की जमानत नहीं होती है क्योंकि वह ऐसा इश्यू होता है कि कोई मजिस्ट्रेट भी उन की जमानत नहीं लेता। ऐसी महिलाएँ 10-10, 15-15 सालों से पड़ी हैं। ये तिहाड़ जेल तक में पड़ी हैं जिन का कोई दोष नहीं था। इस बारे में कोई मैकेनिज्म हो कि डाउरी की असत्य रिपोर्ट है या सच्ची है या फिर एक बार तय हो जाए कि अगर इतनी सजा भुगत ली और अगर कोई उन की पैरोकारी करने वाला नहीं है तो उन्हें कम-से-कम बाहर निकाल दें। ऐसी कई महिलाएँ पड़ी हुई हैं जिन के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं इस बहस में उठाना चाहता था। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MS. PROMILA BOHIDAR (Orissa): sir, in the past, I have raised several issues about dowry, widows, unmarried young girls and women in various work places. Every day, in newspapers, cases of rape, assault, molestation and even murder of women are reported. Just a week back, a young girl working in a BPO organisation in Bangalore was murdered. Not only the Indian women, even foreign women tourists are not being spared. Even women employed with foreign embassies are reported to have been molested.

In India, we only praise our tradition and heritage. We worship Goddess Durga, Goddess Lakshmi and Goddess Saraswati in temples. We give examples of Sita and Savitri. But, in real life we do not have any regard and respect for females in our family, our society, even in our elected bodies. That is why, still today, the Women Reservation Bill could not see the light of day.

The ill-treatment of women and atrocities against women in a brutal manner in India is a regular feature. Rise in cases of sexual harassment by 40 per cent, dowry deaths by 15 per cent and trafficking of girls by 87.2 per cent in 1998 are indicative of the height of the problem. No place is safe for women in India. It is high time we got rid of these

indignities meted out to women. We are an inclusive society where the welfare and protection of women is our prime concern. the discrimination being suffered by women in society should be controlled with a heavy hand.

If our democracy is to remain great and relevant to the women's woes, we will have to pay heed to the crying need of development of our women.

The National Commission for Women should be vested with adequate powers to address the issue of atrocities against women and the accused should be awarded exemplary punishment to serve as a lessons for others to control such crimes.

Our ill-treatment of women is not only confined to public violence, but it is found in domestic violence also. Even female foetuses are being eliminated. This will be a great danger for the Indian society. We have got many laws to protect the rights and dignity of women. But the enforcement is very poor. To enforce these laws, a proper mechanism is required to be developed. This House must consider this issue.

प्रो० अलका क्षत्रिय (गुजरात): उपसभापति महोदय, यह किसी भी समाज की, सभ्यता की निशानी नहीं है फिर भी आज के सभ्य समाज की यही एक कड़वी सच्चाई है कि आज समाज में महिलाएं ही सबसे ज्यादा शोषित हैं और अत्याचार की शिकार भी हो रही हैं। चाहे वह छेड़-छाड़ हो, बलात्कार हो, दहेज की बलि चढ़ाई जाती हो या चाहे रूढ़ीवादी परम्पराओं से जुड़ी छायन प्रथा, देवदासी प्रथा के मामले क्यों न हों, आज के समय की यह बहुत ही गम्भीर समस्या है।

महोदय, आज 21वीं सदी चल रही है। जब 20 वीं सदी खत्म हो रही थी और 21 वीं सदी की शुरुआत होने जा रही थी, जब देश में बहुत ही ज्यादा कौतूहल पैदा हो गया था। यह कहा जाता था कि 21वीं सदी हमारी सदी है, 21वीं सदी भारत की सदी है। हम लोग इससे बहुत ही आनन्दित थे। हम लोग यह सोचते थे कि 21वीं सदी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। विशेषकर मानव समाज की जो बुनियादी सोच है, उस सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। समाज के ढांचे में कुछ परिवर्तन होगा और इसका बहुत बड़ा लाभ हम महिलाओं को मिलेगा। समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो रिवाज़ हैं, उनमें कुछ हद तक कमी आएगी, एक नई क्रांति आएगी, हमारे लिए एक नया पैगाम आएगी, तकनीकी प्रगति के द्वार खुलेंगे और वे द्वार इस तरह से खुलेंगे कि जिससे आम आदमी का ध्यान हिंसा, शोषण अत्याचार, आदि को हटकर विकास की ओर जाएगा। और जिससे हम महिलाओं को ही ज्यादा फायदा होगा। हम लोगों को एक आशा की किरण नजर आई थी, लेकिन हालात क्या हैं? सदी बदल गई, मगर सोच नहीं बदली। बीसवीं सदी और इक्कसवीं

सदी में एक सदी का अंतर है, लेकिन हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, समाज की परंपराओं, रीति-रिवाजों, कुरीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी महिलाएं पिछली सदी की तरह ही कुटती-पिटती रहती हैं। यदि मैं एक ही शब्द में कहूं, तो यह कहा जाता है कि सहते सहते नारी की यह हालत हो गई है कि जो नारी अबला नहीं थी, मगर समाज ने उस पर इतने अत्याचार किए कि समाज ने ही उसे अबला बना दिया है हो सकता है कि शायद यह सदन मेरी सोच से सहमत न भी हो, फिर भी आज हमें इस दिशा में पुनः गहनतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि बीसवीं सदी की महिलाओं की स्थिति और इक्कीसवीं सदी की महिलाओं की स्थिति में अगर अंतर नहीं है, अगर इसमें बदलाव नहीं आया है, तो इसके लिए यह समाज और हम खुद जिम्मेदार हैं। मुझे तो मात्र इतना ही कहना है कि आज भी समाज पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रस्त है, जिससे महिलाओं पर अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे वे बलात्कार के मामले हों, चाहे दहेज के कारण जिंदा जलाए जाने के मामले हों, चाहे पति द्वारा प्रताड़ित करने के मामले हों, दुराचार के मामले हों। अंध-विश्वास और रूढ़ियों के कारण महिलाओं के शोषण के मामलों में बीसवीं सदी और इक्कीसवीं सदी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है।

उपसभापति महोदय, मैं कोई पिछले पचास-पचपन वर्ष की बात नहीं करना चाहती, मैं तो इक्कीसवीं सदी की ही बात करना चाहती हूं। इस इक्कीसवीं सदी में जो महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, उसी की चर्चा करना चाहती हूं, उसी की बात सदन में रखना चाहती हूं। मैं कुछ चुनिंदा राज्य, जहां महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा अपराध हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार में जो राज्य सर्वोच्च है, उसकी बात रखने जा रही हूं। जैसे कि हमारे भाई ने बताया, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां महिलाओं पर सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं वर्ष 2004 के आंकड़ें यदि हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार के 2,875 मामले प्रकाश में आए हैं, दूसरे स्थान पर वेस्ट-बंगाल है, जहां 1,475 केस हुए हैं और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 1,397 बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। दहेज के कारण प्रताड़ना की बात अगर हम करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 1,708 मामले प्रकाश में आए हैं, दूसरे स्थान पर बिहार है, जहां 855 मामले दर्ज हुए हैं और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां 751 मामले प्रकाश में आए हैं। किडनेपिंग की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा 2,324 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जबकि 188 मामले राजस्थान में और 1,552 मामले असम के भी प्रकाश में आए हुए हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट में भी 2,682 घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर है। यौन प्रताड़ना या छेड़छाड़ की अगर बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश इसमें भी अव्वल नंबर है, 6,690 केस इसमें प्रकाश में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश में पिछले डेढ़ साल में 4,574 महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई हैं। एकल बलात्कार के अलावा मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा खतरनाक घटना घटी है, वह सामूहिक बलात्कार की है

और ये सामूहिक बलात्कार के 417 मामले वहां पर दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, मुख्य मंत्री की कंस्टेबल में ही महिला पर बलात्कार हुआ है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति के बारे में बातें हमें चिंतित करती हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि महिलाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वह नकारात्मक रही है। भाजपा ने अपनी ही स्तर प्रचारक नेता को रास्ते पर छोड़ दिया है।

महोदय, अतना ही नहीं, मैं यह भी कहूंगी कि देश कि राजधानी दिल्ली भी आज महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां पर भी दिन-दहाड़े महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। शान्ति मुकुन्द अस्पताल का जो केस अहुआ, उसमें एक्ज्यूज्ड को जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई, अभी उसकी स्याही सूखी भी नहीं थी कि दो दिन बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय की एक लड़की पर चलती गाड़ी में बलात्कार होता है। पुलिस, जो हमारी रक्षक मानी जाती है, वह हमारी भक्षक बन गई है। मुम्बई में एक पुलिस वाले ने ही महिला का बलात्कार किया। यही नहीं, अभी आप कल ही देखें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अन्दर पुलिस वालों ने कितनी बर्बरता के साथ लड़कियों को पीटा है, यह घटना भी इस पुरुष प्रधान समाज के अन्दर पुरुषों की मानसिकता को दर्शाती है।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज घर, परिवार दफ्तर, गली, मोहल्ला, पुलिस चौकी, स्कूल, कॉलेज, बस, ट्राम, खेत, खलिहान और यहां तक कि गर्भ के अन्दर भी महिला सुरक्षित नहीं है। तब ये महिलाएं कहां जाएंगी? क्या करेंगी? समाज को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार, बलात्कार, छेड़छाड़, अन्धविश्वास एवं रूढ़ियों से जुड़ी कुछ समस्याएं, जैसे डायन प्रथा, सती प्रथा, ये गहरी चिन्ता का विषय हैं।

आजादी के बाद हमारे देश के अन्दर महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए करीब 40 कानून बने हैं, लेकिन फिर भी स्थिति क्या है? क्या सिर्फ कानून बना देने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? मुझे लगता है, शायद नहीं। राज्य स्तर पर भी विभिन्न कानून बनाए गए हैं। चाहे वह बिहार हो, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कर्नाटक हो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर वहां भी कानून बनाए हैं। रूढ़िवादी, अन्धविश्वासी मानसिकता की वजह से महिलाओं को कहीं डायन कह कर प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं किसी महिला को नग्न करके गांव भर में घुमाया जाता है। इतना ही नहीं, कहीं पर तो जलती हुई आग में उसका हाथ झोंका जाता है तो कहीं कढ़ते हुए तेल के अन्दर, उसके हाथ डाले जाते हैं और उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होती है, उसे अपने चरित्र का प्रमाणमंत्र देना पड़ता है। रूढ़ियों के कारण कहीं-कहीं तो किसी भोली सी बच्ची को हमेशा के लिए देवदासी के रूप में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि शारीरिक शोषण के रूप में हमेशा ही उसे शोषित किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के अन्दर इसके लिए सुधार लाने की आवश्यकता है। समाज के अन्दर जागृति लाने की जरूरत है। आज भी पूरे समाज में हम लोगों को, चाहे वह जन-प्रतिनिधि हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे एनजीओ चलाने वाले हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे न्याय पालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या कुछ और हो, वहां बैठे हुए लोगों को महिलाओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, महिलाओं के बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमें कानूनी प्रक्रिया में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संरक्षण देना पड़ेगा, न्यायपालिका को और अधिक क्रियाशील होना पड़ेगा।

उपसभापति महोदय, मैं सामाजिक जागरूकता की बात कर रही हूं और वह सामाजिक जागरूकता की बात मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं और मान्यताएं महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रही हैं, बल्कि उनका शोषण करती हैं और उन्हें बदलना इतना आसान नहीं लगता है। यह बहुत ही मुश्किल है।

श्री उपसभापति : समय का ध्यान रखिए। अपनी बात समाप्त कीजिए। ... (व्यवधान)

प्रो. अलका क्षत्रिय : सर, थोड़ी देर और। महिलाओं के प्रति बात चल रही है,*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, No, You are charging the Chair, यह* नहीं है, It is regulating the timing. यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

प्रो. अलका क्षत्रिय : महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि यह बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि पुरुष पक्ष की स्वतंत्रता, जो कि स्वच्छन्दता में बदल गई है और दूसरा पक्ष जो कि नारी है, उसका शोषण हो रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। इन दोनों ही तथ्यों के बारे में सोचना जरूरी है। हमें दोनों ही पक्षों की मानसिकता बदलने की बात करनी होगी। पति से पिटना, प्रताड़ित होना, इससे नारी यह समझती है कि यह पति का अधिकार है क्योंकि वह इतनी शोषित हो गई है कि वह सोच भी नहीं सकती कि उस पर अत्याचार हो रहा है। वह तो सोचती है कि पति उसका परमेश्वर है, पति जो करता है वह ही ठीक है। अगर वह उसे प्रताड़ित करता है तो वह उसी के काबिल है और उसी के लायक है और इसीलिए उसको प्रताड़ित करता है तो वह उसी के काबिल है और उसी के लायक है और इसीलिए उसको प्रताड़ित किया जाता है। उसकी सोच भी अब ऐसी हो गई है कि वह अब अपने बारे में सोच भी नहीं सकती, वह कुछ बतला भी नहीं सकती तथा चाह कर भी किसी से कुछ नहीं कह सकती। उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके चलते उसे अपने पति के घर में ही रहना पड़ता है। महोदय, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलने वाला, कानून के साथ-साथ कानून को ज्यादा ... (व्यवधान)

*Not recorded.

श्री उपसभापति : आप पूरे विवरण के साथ सुझाव दीजिए।

प्रो० अलका क्षत्रिय : मैं सुझावों पर ही आती हूँ। सदियों से और रूढ़ियों में बंधी हुई महिलाओं पर जो अत्याचार है उसे रोकने के लिए सबसे ज्यादा तो हमें महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहती कि सिर्फ महिलाओं को ही शिक्षित करना पड़ेगा बल्कि महिला और पुरुष दोनों को ही शिक्षित करना पड़ेगा जिससे दोनों की सोच में फर्क आए। हमें दोनों की सोच बदलनी पड़ेगी। महिलाएं अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाएं इसके लिए उसको शिक्षित करना है और पुरुष को इसलिए शिक्षित करना पड़ेगा कि वे महिलाओं के बारे में अपनी सोच बदलें। तो इसलिए दोनों को शिक्षित करने की जरूरत है। और इसलिए महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। हमारे गुजरात के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के मुफ्त शिक्षा का कानूनी प्रावधान किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सभी स्टेट और यहां तक कि केन्द्र सरकार भी इस पर ध्यान दें साथ ही मैं महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बतलाना चाहूंगी क्योंकि जब तक आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी जब तक कुछ नहीं बदल पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि केन्द्र सरकार ऐसा प्रावधान करे कि नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण मिले जिससे महिला की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और वह अपनी आवाज भी उठ सके।

विधान सभा और संसद में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे उनमें एक विश्वास पैदा हो। साथ ही मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो अत्याचार करते हैं वह एक ऐसा पशु है जो उम्र नहीं देखता, जो वर्ग नहीं देखता, जो धर्म नहीं देखता, जो जाति नहीं देखता उसे तो दीखती है सिर्फ हवस, और आश्चर्य तथा दुख तो तब होता है कि जब ऐसी वहशी दरिन्दे को समाज के कुछ लोग बचाने आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : समाप्त कीजिए, बहुत ज्यादा हो गया है।

प्रो० अलका क्षत्रिय : वकीलों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर वकीलों को लगता है कि वह जो केस है उसमें वह दरिन्दा ही है तथा उसने गलत काम किया है तो वकीलों को उसका केस नहीं लेना चाहिए। अगर वकील ऐसे केस नहीं लेते हैं और महिलाओं की मदद करते हैं, उसके लिए सिर्फ यह एक केस है लेकिन किसी के सामने उसकी अपनी जिंदगी है और इस जिंदगी के बारे में उसको सोचना चाहिए, न कि उसे पैसे की तरफ देखना चाहिए, एक केस की तरफ देखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जज बनाना चाहिए। आखिर में मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि न्यायपालिका को भी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा और जरूरत पड़े तो हमें कानून में भी सुधार करना पड़ेगा और बदलते परिवेश के अंदर यौनाचार के अपराधियों को फांसी की सजा देने की जरूरत हमें लगती है तो हमें कानून में सुधार करके फांसी का प्रावधान भी करना होगा नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है।

श्री उपसभापति: अब फिर विवरण पर जा रही हैं।

प्रो० अलका क्षत्रिय: अगर हम नहीं करेंगे तो जिस देश में नारी को पूजा जाता है उसी देश में नारी पर हर पल अभी भी अत्याचार होते रहेंगे, अभी भी नारी प्रताड़ित होती रहेगी? अभी भी उसे जलना पड़ेगा, अभी भी उसे मरना पड़ेगा। (धन्यवाद)

SHRIMATI VANGA GEETHA: Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this discussion. Sir, women population in India comprises more than 120 million. But, majority of them are living in abject poverty, their condition is Vulnerable and poor due to atrocities on them.

Sir, our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru said, 'You can tell the condition of the nation by looking at the status of women.' Our Father of the Nation, Mahatma Gandhi said, 'When the women freely move on the road along at midnight that is the real independence day'.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) IN THE CHAIR

But what is the position today? The women have no security. They are not safe even in the daylight and at even public places. Even after fifty years of Independence, there is not much difference in the status of the women. There is a huge increase in the crime against women. Today, women are not only facing atrocities, like, rap, kidnapping, dowry, harassment, eve teasing, sexual harassment at work place, but they are also facing gender discrimination. The gender discrimination starts at a very early stage in the life of a girl. The discrimination against girls may begin in the mother's itself. Sex determination is very common in some cities, where technologies, like, ultrasound are readily accessible.

Sir, there is a perception that a daughter is an economic liability, either because of the low expected contribution to the family income, or, because of the huge dowry demands. The issue of women in India was highlighted on the issue of misusing girls. So far as marriage is concerned, marriages seem to be becoming nightmares for many Indian women. And, ironically, it is none other than her husband, in whom she poses her full faith. But the data available with the Government authorities indicate that the crime against women is on the increase. It is the fortune inflicted by the men on their wives that has increased very rapidly. The statistics pertaining to cruelty against women at home has registered a

consistent increase over the years. Sir, across the country, the crime against women, including rape, dowry deaths, has increased from 1,31,475 to 1,40,601 during the period 1998 to 2003. One in every five married women, in India, becomes a victim of domestic violence.

Sir, hon. Member, Shrimati Brinda Karat, has also mentioned that a large number of women are working in the unorganised sector, not only in the private companies and some other factories, but they are also working as agricultural labourers. The contribution of women to the economic development of our country has been significant, especially in the agricultural sector. But, they are paid very marginal amount for their hard work in the fields. Not only their working conditions are very poor, but their remuneration is also very poor.

Sir, almost all the Members have spoken about the rape cases. In India, several studies have been made in this regard. They have concluded that a rape is committed every 50 minutes in the country.

Sir, such instances are in plenty, but there is no protection for women. I would like to suggest the hon. Minister that the IPC should be amended and like imprisonment should be made compulsory in the case of a rape.

Sir, now, I come to the HIV-AIDS. Sir, here also the most affected persons are women. The reports shown that day-by-day the number of HIV-AIDS infected people is increasing; and, the most affected persons are women and children. The disease is transmitted from husband to wife and from wife to children. The poor people are not able to afford the cost of treatment. Medicines are not available in the hospitals. The rural people are, especially, facing a lot of problems. They are worst affected by this disease.

Sir, many hon. Members have already spoken on this subject. They have already highlighted important points. So, I would just like to make some suggestions. A victim of assault or rape or use of criminal force, intimidation, should be given *ex gratia* compensation in the eligible cases. They should be allowed to engage a lawyer of their choice. The Government should support them financially, apart from the regular Public Prosecutor.

The trial should be completed in a time-bound manner. During the trial, the victim and her witnesses should be protected. The trial should be conducted totally one camera.

Sir, in dowry death cases, often the witnesses turn hostile and children of the deceased become orphans. Therefore, all the laws and enactments pertaining to women should be given wide publicity and effort should be made to create confidence among the women-folk.

The Government should also change the social attitude and the practices prevailing in our communities by encouraging active participation and involvement of both men and women to prevent atrocities. The Government should also eliminate discrimination and all forms of violence against women and the girl child by building and strengthening partnerships with the civil society, particularly, women organisations. Equal access to education for women and girls should be ensured. More vigilance is needed from both, the Government and the NGOs, to stop sex determination tests. Sir, atrocities like dowry deaths, domestic violence, rape, kidnapping, etc., are on the rise.

Finally, sir, our society is a gender-biased society. It is male-dominated society, as if women are not capable of doing the things. Sir, women, if given opportunities, can work in any field. You may look at the results. Women should be given equal status in both economic and social sectors, apart from political status.

Sir, I would like to draw the attention of the House to one particular thing. The hon. Home Minister is here. It is regarding the Women Reservation Bill. It is nothing but discrimination against women. Our Constitution says that the status of women should be improved politically, economically, educationally and socially. But here, the Government is discriminating against women by not bringing the Women Reservation Bill, which will give them political empowerment.

Sir, where there is a will, there is a way. Here, I would like to draw the attention of the House to two instances. One is regarding the POTA Bill. During the NDA regime, as they were afraid of defeat on the POTA Bill, and as they were not in majority in this House, the Government convened a Joint Session for passing the POTA Bill. Similarly, even yesterday, the

Government was able to pass the Andhra Pradesh Legislative Council Bill. The parties, which are supporting this Government, were opposed to the Bill and even voted against that. Even then, by taking the support of Opposition, the government passed that Bill.

So, when they have a will to pass some Bill, they are getting it passed with the support of the Opposition. But there is no will for passing the Women Reservation Bill. I would like to request the hon. Home Minister and the Prime Minister, through this august House, that they should pass the Women Reservation Bill as early as possible. The Home Minister has also convened a number of meetings and tried a lot to have consensus on this Bill. But I don't know what happened thereafter; he again kept quiet. This is the fate of the Indian women. The women are being discriminated against, politically, by the Government.

Sir, with these words, I conclude.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this serious subject, the atrocities on women.

Sir, it is a shame. The atrocities on women are increasing day-by-day. Not a day goes by without the news about the cases of rape, sexual abuse, molestation, trafficking, and so on. Sir, the disabled women like physically handicapped, mentally challenged and blind are also not spared. They suffer with double disadvantages. Rape is more heinous than murder. In murder, the victim dies, but when a woman is raped, she is neither dead nor alive. The rape victim goes through a lot of sufferings. She is like a living corpse. The sexual assault or a rape on a girl or a woman by anyone, including relatives, acquaintance should be given a deterrent punishment. As per the statistics compiled by the National Crime Records Bureau, the number of incidents of crimes reportedly committed against women in the country for the years 2001, 2002 and 2003 were 143795, 143034 and 140601 respectively. Hardly 20 per cent of the cases are being heard. The remaining 80 per cent cases are still pending in various courts across the country.

Sir, the National Capital is the worst; we keep hearing about rapes and molestations. But, even Bangalore is in the forefront of these heinous crimes against women. Bangalore being the largest BPO hub in the

world employs two lakh call centre executives, of which women account for 50 per cent. Probably, this is the only industry in the country, which believes in the fair gender formula of fifty-fifty. This consists of young girls and boys in the age group of 18 to 25 years. They were very happy, but, recently, the rape and murder of a women BPO worker by a driver, just last week, has shattered and shocked the IT industry as well as the people of Bangalore.

Sir, the rape committed on a girl or a woman is the most inhuman crime, which spoils and traumatises the life of the victim. Unfortunately, this heinous crime is spreading like wild fire in the country. The rapists do not spare even a minor girl or an infant, three-month old infant or a three-year old child. We cannot forget the incidents, which are still fresh in our memories, about the rape of a Swiss diplomat and that of a medical student of the Maulana Azad Medical College.

Sir, the figure pertaining to rape cases occurring in the National Capital is most disturbing—one rape is committed every 50 minutes! Delhi Police registered 2369 rape cases between 1999 and June 2004. It doesn't stop there; it continues. The post-rape humiliation of the victim is more traumatic. The humiliation which the victim is subjected to in the court, and the fact that she is reduced to being a figure of ridicule in the society, is perhaps more traumatic for the victim than the crime itself. The victim is asked to explain, publicly, as to how she was raped and she has to explain that from the beginning till the end in front of so many people in the court. Even if she goes to complain at the Police Station, she is asked umpteen number of questions, as if she herself were guilty...*(interruption)*... Life becomes an uphill task after she is subjected to rape. There should be fast track courts with women Judges, women advocates, and women police officers to deal with such cases.

Sir, we hear about so many cases. Should the law and the society forgive the man who rapes his own daughter and makes her give birth to children, or a man who rapes a three-month old baby, or kidnaps a baby, rapes and murders it and throws the body in the jungles? Should we pardon such people? They should not be spared.

Now, the question arises as how to stop this heinous crime against girls and women, which shatter their whole life. If a girl is raped, nobody would marry her after that; if a married woman is raped, her own family

7.00 P.M.

members would disown her. In my opinion, Sir, the rapist should not be hanged, nor should he be given punishment of life imprisonment. He should be castrated! He should be castrated! Then, that would remind him of his crime throughout his life. He should live like that till his last breath ...*(interruption)*...

Sir, then comes the issue of stripping of women. Many times, we get to hear the news that a woman was stripped naked and chased in public places. This is an act of revenge against the woman herself or her family, to teach her or her family a lesson. This happens generally in the villages where feudalism prevails in one way or other, where people are not afraid of the law. Such incidents have to be taken seriously by the Government by ensuring that the culprit gets exemplary punishment. Many a times news comes that woman or women have been killed after being branded as witches. This brutality is the result of superstitions and abetment due to the lust or grievance of some influential people in the villages. Apart from educating the people, deterrent punishment has to be awarded to those who declare any women a witch and abet her killing and those who killed.

The dowry harassment and murder is becoming rampant in our country. We hear about the dowry harassment and murder everyday from different parts of our country. Marriages seem to be becoming nightmares for many of our women and ironically it is none other than her husband, on whom she places complete faith, who is donning the role of villain for her and becoming a threat to her life. Even in this 21st century and after 58 years of independence, the girls are forced to get dowry from their parents. If not given, the husband and in-laws join together to burn her by pouring kerosene or petrol. Data available with the Government authorities indicate that while the crime against women is on the increase, it is the torture inflicted by the men or their wives that has increased very rapidly. The statistics pertaining to cruelty against women at home have registered a consistent increase over the years. The survey shows states like Rajasthan, Bihar, Delhi, UP, Karnataka and West Bengal had found that domestic violence is on the increase primarily because of the less dowry the girl brought during the marriage. Dowry has recognised as one of the reasons for not wanting a girl child.

Sir, in the absence of clear-cut law, in many cases, the girl or woman has to suffer. I would request the hon. Minister to bring a legislation to provide a deterrent punishment like castration to the rapist and there should be a law to punish the wife killer. He should be hanged in public, or, like in some other countries, he should be buried up to the neck and let public throw stones and kill him. Such deterrent punishment is a must in our country to curb the atrocities on women. Thank you.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विषय 'महिलाओं के प्रति अत्याचार' तो बहुत गंभीर है, यह विषय गंभीर उस वक्त हो जाता है जिस भारत भूमि पर महिला को मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और बेटी के रूप में पूजा जाता है। यदि हम देवी देवताओं को देखें तो हमें देवताओं से भी ज्यादा देवियों के मंदिर देखने के मिलते हैं। यदि हम मंत्र उच्चारण करने की बात करें तो उसमें देवों से ज्यादा देवियों के ही उल्लेख होते हैं, उस भूमि पर, आज इस सदन में हम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। जब से देश आजाद हुआ है तब से हमने सैकड़ों बार दोनों सदनों में इस पर चर्चा की है। हम इस पर बहुत कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए विधेयक भी लाए हैं। इसके बावजूद भी हम इस पर अंकुश लगाने में असमर्थ रहे हैं। मैं इसमें राजनीति की बात नहीं करता हूं कि किसके राज्य में या कब कहां और कैसे हुआ? मैं सब लोगों के भाषण सुन रहा था। इसमें दो चीजें सामने आती हैं, एक सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, उसका उल्लेख है। कुछ स्वयं महिलाओं ने ही कहा है कि घर के अंदर भी उत्पीड़न होता है। उसको भी अत्याचार माना गया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इस उत्पीड़न को एप्रूव नहीं करती है। जिस घर में पत्नी को अर्द्धांगिनी कहा जाता हो, अन्नपूर्णा कहा जाता हो, उस घर में पत्नी के साथ, पति उत्पीड़न करे, या पति के परिवार के सदस्य उत्पीड़न करें, यह दुर्भाग्यजनक है, पर इसके पीछे बहुत सारे पहलू हैं, उन पर भी विचार करना पड़ेगा।

महोदय, पिछले दिनों में हमने देखा है कि समाज की किसी भी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए हरेक चीज का अपना-अपना रोल है। पहले जैसे हमारे संस्कारों को भ्रमित करने के लिए printed material मिलता था, आज visual material मिलने लगा है। Printed material को वही पढ़ सकता था, जो पढ़ा-लिखा था, किंतु जो visual material है, वह हमारे संस्कारों को खराब कर रहा है, या उनको भ्रमित कर रहा है, या उनमें उत्तेजना ला रहा है और संयम को खत्म कर रहा है। इसमें सिनेमा का और mass media का बहुत बड़ा रोल है। दुःख की बात है कि आज जब हम कुछ फिल्मों के नाम लें, तो कुछ फिल्में ऐसी हैं, जहां पर बलात्कार के दर्दनाक सीन दिखाए जाते हैं और मुंबई वालों का ऐसा मानना है कि अगर फिल्म में बलात्कार का सीन न हो, तो फिल्म चलती नहीं है, पिट जाती है। कई आर्ट फिल्में ऐसी बनी हैं, जिनमें

शुरुआत ही बलात्कार से की गई है और शायद उसके द्वारा ही ग्राहक को आकर्षित करने की कोशिश की गई है।

मैं कहता हूँ कि सबसे पहले महिलाओं को ही इसमें पहल करनी चाहिए। मैं जब कभी ये दो गाने सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किस मानसिकता से ये गाने लिखे गए हैं। एक गाना है—“नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा”। मुझे अफसोस होता है उस महिला पर, जिसने इस गाने पर नृत्य किया था। अगर वह अस्वीकार कर देती कि मैं इस गाने पर नहीं थिरकूंगी, नृत्य नहीं करूंगी, तो शायद वहीं पर full stop लग जाता, लेकिन बात आगे बढ़ गई और फिर यह गाना आ गया—“तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त”। आज रास्ते में eve-teasing करने के लिए लड़कों के मुँह से यही बौछार निकलती है, लेकिन यह गाना गाने वाली, या इस गाने पर नाचने वाली नर्तकी या नायिका ना कर देती कि नहीं मैं इस गाने पर, इस बोल पर, इस भाषा पर नृत्य नहीं करूंगी, तो वहीं पर full stop लग सकता था।

महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे राष्ट्र में, इस भारत भूमि में जिस नारी की पूजा होती है, उस नारी को आमोद और प्रमोद की वस्तु बना दिया गया। इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे विधेयक पास किए गए। वे विधेयक पूरी तरह से लागू होने चाहिए और उनको लागू करने में पुरुषों का और महिलाओं का, दोनों का सहयोग चाहिए, तभी यह हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति की सुरक्षा हम तभी कर सकेंगे, जब हम ऐसे रास्ते पर चलेंगे। किसी भी संस्कृति में, पुरुष और नारी, एक बैलगाड़ी के दो चक्के हैं। अगर एक कमजोर हो गया, तो दूसरा चक्का नहीं चल सकता और वह बैलगाड़ी डगमगा जाएगी, वह गाड़ी नहीं चल सकती, वह देश आगे नहीं बढ़ सकता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश की जनसंख्या में 50 फीसदी जनसंख्या महिलाओं की है और कहीं-कहीं तो यह 50 फीसदी से भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि अगर हम राज्यों की जनसंख्या की ओर देखें तो वह उलटी हो रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहने के लिए उठ रहा था। जिस समय हमारे सदन की माननीय सदस्या, श्रीमती वृंदा कारत बोल रही थीं, उस समय मैं यहाँ नहीं था। उन्होंने अपने भाषण में मेरे नाम का उल्लेख किया था उन्होंने युनाइटेड नेशंस में मेरे द्वारा दिए गए एक भाषण का उल्लेख किया था, जहाँ पर मैंने honour killing के बारे में कहा था कि भारत में honour killing नहीं होती है। मैं बताना चाहता हूँ, सदन को क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूँ कि मैं जब यूनाइटेड नेशंस गया था, वह भाषण मैंने भारत की ओर से दिया था। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का कोई भी प्रतिनिधि, किसी भी देश का कोई भी प्रतिनिधि जब यूनाइटेड नेशंस में जाता है, वहाँ

जो भाषण देता है, वह सरकार का भाषण होता है और उसे पढ़ा जाता है। उस भाषण पर ऑनर किलिंग के ऊपर जब मेरे पास रिपोर्ट आई, जो यूएन में पेश हुई थी, उस रिपोर्ट में बहुत सारे देशों के नाम थे। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम भी था, जहां मैक्सिमम ऑनर किलिंग होती है। इसके साथ बंगलादेश का नाम था और उसी में भारत का नाम भी था। मैंने रिपोर्ट पढ़ कर, हमारे वहां के दूतावास के जो अधिकारीगण हैं, उन्हें मैंने बताया कि इसके बारे में पूरा पता लगाएं। उन्होंने भारत सरकार को वह रिपोर्ट भेजी थी और यहां से रिपोर्ट मंगवा कर जो मेरा भाषण तैयार किया था, वह भाषण मैंने पढ़ा। मैंने यह कहा था कि भारत में ऑनर किलिंग नहीं होती है। उसके दो कारण हैं। एक यह कि जो ऑनर किलिंग का मुख्य कारण है, वह कबीले वाले लोग करते हैं। जब भारत यूनाइटेड था अर्थात् पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, उस वक्त वेस्टर्न फ्रंटियर के इलाके में ऑनर किलिंग हुआ करती थी। किन्तु भारत जब विभाजित हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो हमारे हिस्से में ऑनर किलिंग नहीं होती है। ऑनर किलिंग की मुख्य धारा यह होती थी कि कबीले वाले लोग अगर दूसरे कबीले में लड़की शादी कर लेती थी, तो या तो वे अपनी लड़की को मार देते थे या जिस कबीले में वह शादी करती थी, उसकी लड़की को मार देते थे। ऐसी परम्परा आज भी वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट्स में है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसके कारण पाकिस्तान में कानून भी पास किया हुआ है, जिससे वहां पर ऑनर किलिंग पर रोक लगे। पर यह रिपोर्ट किसी एनजीओ ने यूनाइटेड नेशंस में जमा की थी। जो कानून है, यूनाइटेड नेशंस के पास कोई भी रिपोर्ट आती है, तो उसका पहला काम होता है कि जिस देश के बारे में उस रिपोर्ट में लिखा है, उस देश से उसके बारे में पूछे। पूछने के बाद उसका जो जवाब आता है, उसे सच मान कर तब रिपोर्ट पेश करे अर्थात् एक्शन टेकें रिपोर्ट को भी पेश करे। पर उन्होंने भारत सरकार से पूछे बगैर वह रिपोर्ट वहां पेश की थी, जिसका मैंने भारत सरकार की ओर से खण्डन किया था। उसका उल्लेख उन्होंने किया। बाहर मैंने वृंदा जी को कहा कि शायद आपको यूएन के फंक्शन के बारे में, आपको वहां जाने का कभी मौका नहीं मिला है, इसलिए आपको यह बात पता न हो, लेकिन मैं आपके ज्ञान के लिए बात देना चाहता हूं कि वहां जो भाषण पढ़ता है वह किसी भी दल का आदमी हो, किसी भी पार्टी का सदस्य हो, यूनाइटेड नेशंस में जब जाता है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी फोरम में जाता है, उसका भाषण बाकायदा विदेश मंत्रालय द्वारा वेटेड होता है, उसका अपना लिखित भाषण नहीं होता है। वह भाषण भी भारत सरकार का भाषण था, जो मैंने पढ़ा था। मैं यही कहना चाहता हूं।

वैसे मैं महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ हूं। महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है, पर दोनों को इसमें परस्पर अपना सहयोग देना चाहिए।

(श्री उपसभापति महोदय पीछसीन हुए)

तभी जाकर कहीं हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। महोदय, जैसा मैंने कहा कि इस अत्याचार के पीछे सिनेमा और सिरियल्स हैं। आज आप टीवी सीरियल्स देखिए। टीवी सीरियल को आप अपने परिवार के किसी छोटे सदस्य के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ कर नहीं देख सकते। एक-एक हीरो की छह-छह शादियां दिखाई जा रही हैं। वहां महिला ही इवाल्ड है, एक पुरुष इवाल्ड है, छह बीवियां इवाल्ड हैं। इस चीज़ को रोकना चाहिए और इस चीज़ को रोकने की जरूरत है। इस पर कोई अंकुश लगना चाहिए। एक तो फिल्मों के लिए सेंसर है, किन्तु टीवी के लिए भी कोई सेंसर लगे कि आखिर ये जो कुछ दिखा रहे हैं, ये कहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता को अपभ्रंश तो नहीं कर रहे, कहीं उसे भ्रष्ट तो नहीं कर रहे, कहीं उसे विभ्रान्त तो नहीं कर रहे। हमारे नौजवानों के दिमाग में एक ऐसी बात आएगी कि हमारा पिता अगर एक माता को लेकर रहता था, तो वह पुराना जमाना था, वे पुराने लोग थे। अब नया जमाना यह है कि एक आदमी के साथ तीन-तीन बीवियां हों या तीन बीवियों के साथ तीन-तीन पुरुष हो। यह गलत है और इसे नहीं दिखाना चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए। यही कह कर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।

प्रो० राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, मैं आप का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ने देश हित के एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया।

महोदय, भारत में हजारों वर्षों से अपनी एक संस्कृति, एक परंपरा और सभ्यता रही है जहां नारियों का हमेशा से सम्मान होता रहा है। अहलुवालिया जी बोल रहे थे कि इस देश में देवियों का देवताओं से भी अधिक मान-सम्मान होता रहा है। कुमकुम जी बोल रही थीं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं मैं ने कहा कि नारियों का सम्मान इस देश की परंपरा और संस्कृति रही है मगर आज हम को इस विषय पर सदन में चर्चा करनी पड़ रही है। इसके पीछे कारण हैं। आजादी के 58 वर्ष बाद भी देश की नारियों के साथ जैसा अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, उस में अभी बहुत कमी है। हम ने कई कानून जिस से कि हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोक सकें, उन के अधिकार उन्हें दे सकें। हम ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके द्वारा माता-पिता की संपत्ति में भी उन को हिस्सा दिया है। सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास चल रहा है, मगर समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए, वह परिवर्तन नारियों के प्रति जितनी तेजी से होनी चाहिए, उस में कमी दिखायी पड़ती है। अभी भी दहेज के लिए बहुओं को जलाया जाता है, उन के साथ अत्याचार किया जाता है, उन की हत्या की जाती है दुख तब होता है कि जब ऐसे कुकुत्य में उन की सास व ननद शामिल होती है।

अभी चर्चा हो रही थी किस प्रकार से जब अपने पर हुई हिंसा के खिलाफ वे शिकायत करती हैं, पुलिस के पास जाती हैं तो उन के हाथ काट लिए जाते हैं। सदन में इसकी चर्चा हुई है। एक माननीय सदस्या चर्चा कर रही थीं कि एक ड्राइवर ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अभी भी महिलाओं पर जघन्य से जघन्य अपराध हो रहे हैं— हिंसा करना आग में जलाना, हत्या करना, बलात्कार करना जैसे अपराध हो रहे हैं हम किस समाज में रह रहे हैं? हम समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? हम कहते हैं कि पुरुष अगर संस्कार है तो महिला संस्कृति है। हम इस तरह से कहते हैं। हम कोई फर्क करना नहीं चाहते, मगर जो मानसिकता है, पुरुष की मानसिकता है, मैं सभी पुरुषों की बात नहीं कर रहा, उस प्रकार की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। उनकी निन्दा होती है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, मगर जितनी कमी होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। रोज कोई-न-कोई घटना की जानकारी समाचार पत्रों में आती रहती है। हमें उस दिशा में कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

महोदय, आज सुबह की बात है। मेरे जिले से एक फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची यहीं दिल्ली रहती है। उसके पति तथा परिवार के लोग भी यहां हैं। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी की शादी में परिवार से, समाज से, जो कुछ बन पड़ा, अच्छी तरह से अपनी बेटी की शादी की। उन्होंने हमें फोन पर कहा कि ऐसा लगता है कि वे लोग हमारी बेटी की हत्या कर देंगे। वे मेरी मदद चाहते थे। मैंने कहा कि पहले आप परिवारिक रूप से इस मसले को हल करें। अगर आप कुछ मित्रों को लेकर, आपके जो बंधु-बान्धव हैं, कुटुम्ब हैं, उनको साथ लेकर परिवारिक रूप से इस समस्या को हल करें, तो बेहतर है। अगर ऐसा नहीं हो तो उसके बाद आप मेरे पास आइए। मैं कोशिश करूंगा कि कानून की मदद से या यहां दिल्ली में रहने वाले किन्हीं और लोगों की मदद से आपकी समस्या का समाधान करना चाहूंगा।

महोदय मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। शादी के 2-4-5 वर्षों के बाद भी लोग दहेज की मांग करते हैं। अगर दहेज की मांग पूरी नहीं होती है, तो बहू के साथ हिंसा होती है, उनको आग में जलाया जाता है। ऐसी स्थिति में समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व है। कानून अपनी जगह पर है। कानून भी उसमें मदद करता है। ऐसी घटनाओं में जो दोषी हैं, उनको सजा देने के लिए। कुछ मित्र सिनेमा और सीरियल्स वगैरह की बात कर रहे थे। हमने भी देखा है कि आजकल कुछ ऐसे सिनेमा बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, जिनमें कॉमर्शियल प्वायंट ऑफ व्यू से हिंसा के कई दृश्य डाले जाते हैं। आजकल टेलीविजन सभी घरों में पहुंच गया है। जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके घरों में तो टेलीविजन पहुंच ही गया है। इस टेलीविजन के माध्यम से वह सब बातें बच्चों तक भी पहुंचती हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, मौलाना मेडीकल कॉलेज में छोटे, टीनेजर बच्चे होंगे, 16, 17, 18 साल के, उन्होंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया यह जो कुछ समाज में हो रहा है, वे बातें

टेलीविजन और सिनेमा के द्वारा बच्चों तक पहुंचती हैं, उसकी वजह से बच्चों के दिमाग पर, बच्चों के मन पर कुप्रभाव पड़ता है। कानून बने हुए हैं, उन्हें सख्ती से लागू होना चाहिए।

महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा, सभी माननीय सदस्यों ने भी उन्हें कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है समाज में परिवर्तन हो, कानून के द्वारा भी, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वे बंद हों। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Constitution One Hundred and Fourth (Amendment) Bill, 2005

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Consitution (One Hundred and Fourth Amendment) Bill, 2005, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 2005, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SHORT DURATION DISCUSSION —(contd.)

Atrocities on Women in the Country

श्री उपसभापति: जमना देवी जी, आप। ... (व्यवधान)...

श्री ख्दनारायण पाणि (उड़ीसा): सर, इनका कल होगा, तो ठीक रहेगा।

प्रो० अलका क्षत्रिय: सर, लास्ट स्पीकर हैं, बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति: ठीक है; जरा संक्षिप्त में बोलिए। ... (व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): पाणि जी का भी नाम है।